फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

शिशपाल पुत्र मनोहर राम जाति बिश्नोई निवासी मिठड़िया तहसील बज्जू जिला बीकानेर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बज्जू जिला बीकानेर वगैरह।

किस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या 10 / 2024
GCMS No. 2024 / 10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील जिला कलक्टर बीकानेर के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 12–3( )राजस्व / संप. / 2020 / 3962 दिनांक 11.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ग्राम बज्जू तेजपुरा में खसरा नंबर 20 / 5 में 32 बीघा भूमि आवंटित की गई जो बाद में चकबन्दी में चक 8–9 बी.जे.एम. में मुरब्बा नंबर 24 / 24 में पैमूद हुई। उक्त भूमि रेसपोडेन्ट संख्या 2 के काश्त करने के लिए आवंटित हुई थी। राजस्थान भू–राजस्व(कृषि भूमि का पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु आवंटन और रूपांतरण) नियम, 1973 के नियम 9 के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि का रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की उक्त वादग्रस्त भूमि के किला नंबर 14,15,17 2025 वर्गमीटर भूमि का कृषि से अकृषि संपरिवर्तन किये जाने के लिए आवेदन किया। उक्त संपरिवर्तन की जा रही भूमि के उपर से हाईटेंशन लाईन निकल रही है। ग्रामवासियों ने उक्त संपरिवर्तन का विरोध किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के संपरिवर्तन पत्रावली के साथ सलंग्न चेकलिस्ट के कॉलम संख्या 16 में स्पष्ट अंकित है कि सड़क मार्ग व प्रस्तावित रकबे में मध्य से दो हाईटेंशन विधुत लाईन गुजर रही है। ग्रमवासियों की शिकायत पर हल्का पटवारी की दुबारा रिपोर्ट कि जिसमें मुरब्ब नंबर 24 / 24 के किला नंबर 14,17,15 में मोके पर कोई हाईटेंशन लाईन नहीं हैं संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबे और सड़क के मध्य सड़क बाउण्ड्री में विधुत लाईन है। हल्का पटवारी दो विरोधीभाषी रिपोर्ट के बावजूद किसी भी उच्च अधिकारी ने मौके का निरीक्षण नहीं किया। जिला कलक्टर, बीकानेर ने ग्रामवासियों की शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की सुनवाई का मौका नहीं दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर बीकानेर का संपरिवर्तन आदेश दिनांक	
संभागीय आयुक्त बीकानेर		

11.07.2023 को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जिला कलक्टर बीकानेर ने जैर अपील संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.07.2023 नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया है। जिला कलक्टर बीकानेर ने संबंधित सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही जैर अपील आदेश जारी किया है। अपीलांट को उक्त संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की लॉक्स स्टैन्डाई नहीं है। अपीलांट ग्राम मिठड़िया तहसील बज्जू का निवासी है जो उक्त संपरिवर्तन आदेश से किसी भी प्रकार से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार नहीं है ना ही अपीलांट के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ा रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अपील मीमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। अपीलांट अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश 11.07.2023 से किसी भी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है। जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.07.2023 कानूनी प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.07.2023 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें। अपील अपीलांट्स इसी स्तर पर खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/5/24

(वंदना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर